भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1196

मंगलवार, 30 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

जीआई टैग को बढ़ावा देना

1196. डॉ. बायरेड्डी शबरीः
डॉ. के. सुधाकरः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुरनूल मसूरी चावल और चिक्काबल्लापुर क्षेत्र के नीले अंगूरों (ब्लू ग्रैप्स) की भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैगिंग को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार मसूरी चावल के निर्यात को सक्षम बनाने के लिए कोई कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार के पास मसूरी चावल को बढ़ावा देने के संबंध में कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास आंध्र प्रदेश के चावल और देश के नीले अंगूर (ब्लू ग्रैप्स) की किस्मों के निर्यात के संबंध में कोई आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) चिक्काबल्लापुर में इन नीले अंगूरों (ब्लू ग्रैप्स) के प्रसंस्करण के उद्देश्य से किसी उद्योग की स्थापना के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार के पास चिक्काबल्लापुर से लाए गए नीले अंगूरों (ब्लू ग्रैप्स) की कुल मात्रा के बारे में कोई आंकड़े हैं जिन्हें देश के विभिन्न भागों में ले जाया गया और बेचा गया; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क): माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 के तहत कुरनूल मसूरी चावल और चिक्काबल्लापुर के नीले अंगूरों (ब्लू ग्रेप्स) का भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकरण करने के लिए भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री कार्यालय को कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

भौगोलिक संकेतकों का पंजीकरण स्वैच्छिक नहीं है बल्कि यह जीआई अधिनियम और नियमों के फ्रेमवर्क के तहत प्रदत्त कानूनी संरक्षण है। जीआई अधिनियम और नियमों के कानूनी फ्रेमवर्क के अनुसार, भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण हेतु उस समय लागू किसी कानून द्वारा अथवा उसके तहत स्थापित उत्पादक संघ अथवा किसी संगठन अथवा प्राधिकरण, जो संबंधित वस्तु के उत्पादकों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, द्वारा भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदकों को माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 और माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) नियम, 2002 में उल्लिखित अनिवार्य कानूनी आवश्यकताओं का पालन करना पड़ता है।

(ख) और (ग) : सरकार, विभिन्न तरीकों से मसूरी चावल समेत सभी प्रकार के चावलों के निर्यात को बढ़ावा देती है जैसे अन्य देशों की विनियामक निकायों से बातचीत करना, मानदंडों का अनुपालन करने संबंधी जागरूकता पैदा करना, निर्यात संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, एनएबीएल द्वारा प्रत्यायित प्रयोगशालाओं के जरिए गुणवत्ता की जांच करना, चावल निर्यात संवर्धन मंचों की स्थापना करना, यूएस, यूएई, ईयू और दक्षिण पूर्वी एशियाई बाजारों में प्रमुख खाद्य प्रदर्शनियों में भाग लेकर अन्य देशों के साथ बी-2-बी संबंध स्थापित करना।

(घ) : आंध्र प्रदेश के चावल की किस्मों और देश के ब्यू ग्रेप्स के निर्यात को निर्धारित करने के लिए कोई अलग एचएस कोड नहीं है। मसूरी चावल का कोई अलग एचएस कोड नहीं है तथा यह गैर-बासमती चावल की सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान बासमती चावल के निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	**वर्ष**	**मात्रा (मी.टन में)**	**मूल्य (करोड़ रुपए में)**
1.	2021-22	5248444.33	14980.65
2.	2022-23	6398783.52	17774.22
3.	2023-24	2359090.48	7021.67
4.	2024-25 (अप्रैल-मई)	265873.84	1023.31

स्रोत: डीजीसीआईएस

पिछले तीन वर्षों में ताजा अंगूरों (ब्लू ग्रेप्स सहित) के निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	**वर्ष**	**मिलियन अमरीकी डॉलर**	**मात्रा मी.टन में**
1.	2021-22	305.68	263075.62
2.	2022-23	313.7	267950.39
3.	2023-24	417.07	343982.34
4.	2024-25 (अप्रैल-मई)	43.96	46727.84

स्रोत: डीजीसीआईएस

(□) : खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र शीघ्र खराब होने वाले कृषि उत्पादों की बर्बादी को कम करने, खाद्य उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने, कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन को सुनिश्चित करने, कृषि के विविधीकरण और वाणिज्यीकरण, रोजगार सृजन, किसानों की आय बढ़ाने और कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात के लिए अधिशेष पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अंगूरों के प्रसंस्करण सहित देशभर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का समग्र विकास सुनिश्चित करने तथा इसके समक्ष आने वाली विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने में सहायता करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) केंद्रीय क्षेत्र की व्यापक स्कीमों जैसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआईएसएफपीआई) तथा केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारीकरण (पीएमएफएमई) को कार्यान्वित कर रहा है।

(च) और (छ) : केंद्र सरकार द्वारा ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

*****